दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते प्राथमिक निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी नं0 480, 481, 482 कुल किता 03 कुल रकबा 4.0338 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला, पटवार हल्का सोहेला स्थित जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है व भूमि आराजी ख0न0 136 रकबा 1.8209 हैक्ट. वाके ग्राम हेला, पटवार हल्का सोहेला स्थित है। जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 2/27 हिस्सा है एवं ख0न0 1116, 7, 1121, 1223, 1224, 1225, 696, 712, 713, 714, 716, 717/1, 81 कुल किता 13 कुल रकबा 2.8324 . वाके ग्राम सोहेला पटवार हल्का सोहेला में स्थित है। जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 5/12 हिस्सा है। क्ते वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिस पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त त आराजीयात हम पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसका हमने मौके पर मी बंटवारा कर रखा है और बहामी बंटवारे अनुसार मौके पर अपने अपने हिस्से के खेत बनाकर काबिज होकर त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। के कारण प्रतिवादीगण बिना विधिवत् विभाजन कराये ही अजनबी व्यक्तियो को रहन, दान, बेचान कर जीयात में प्रवेश कराने का प्रयास कर रहे है तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में महत व मदाखलत करने पर आमादा है व वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। का प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। वादीगण उपरोक्त आराजीयात के अपने हिस्से पर बिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन विधिवत् राजस्व रिकॉर्ड में तकासमा नही होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के बीच सीमाओ, मेर, डोल आदि को लेकर पक्षकारान् के बीच मनमुटाव रहता है। इस कारण गण के लिए यह आवश्यक हो गया है की वह अपने उपरोक्त वर्णित हिस्से की भूमि का विधिवत् विभाजन कर अपनी पृथक जमाबंदी तैयार करा लेवे एवं अपने हिस्से की भूमि का नक्शा शीट में तरमीम करा लेवे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से वक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 16 सायर उर्फ श्योप्यारी देवी पत्नि नान जाट निवासी सोहेला की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर कथन या की भूमि आराजी ख0न0 480, 481, 482 कुल किता 03 कुल रकबा 4.0338 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला का 6 हिस्सा, ख0न0 136 रकबा 1.8209 हैक्ट. का 1/27 हिस्सा तथा ख0न0 1116, 1117, 1121, 1223, 1224, 5, 696, 712, 713, 714, 716, 717/1, 81 कुल किता 13 कुल रकबा 2.8324 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला त्कालीन खातेदार का 1/6 हिस्सा था। जिसका 1/2 कुल का 1/12 हिस्सा प्रार्थिया ने तत्कालीन खातेदार

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

...पत्नि मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम सोहेला से जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र प्राप्त कर लिया था। तब से ...भूमि के अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने प्रा0पत्र ...जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थिया के पक्ष में किसी प्रकार का कोई विधिक दस्तावेज निष्पादित नही है तथा न ही मौके ...काबिज है। वादीगण ने तथाकथित दानपत्र को शून्य घोषित करने हेतु समक्ष न्यायालय में वाद दायर कर रखा ...प्रार्थिया ने अपने पक्ष में जो दानपत्र होना बताया गया है। तथाकथित दान पत्र की वैधानिकता को सक्षम ...विल न्यायालय में चुनौती दी हुई है। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक सक्षम सिविल न्यायालय ...तथाकथित दानपत्र की वैधानिकता प्रमाणित नही की जाती है। तब तक उसके कोई अधिकार उत्पन्न नही ...है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थिया के पक्ष में कोई भी विधिक दस्तावेज नही है। तथाकथित दानपत्र ...तक सिविल न्यायालय से वैध घोषित नही कर दिया जाता है। तब तक किसी प्रकार के कोई अधिकार उत्पन्न ...होते है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अपितु खारिज किये जाने योग्य है। उभयपक्ष की प्रार्थना आदेश 1 ...यम 10 व 151 सी.पी.सी. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेज एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। प्रार्थिया ...बद्ध पक्षकार है। सक्षम न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत दस्तावेज को शून्य घोषित नही किया गया है। ...प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गुर्जर ने ...जालतनामा प्रस्तुत वाद वादी मुताबिक वादपत्र डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या ...08, 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है।

अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने भी एक प्रा0पत्र ऑर्डर 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर ...दन किया की उक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 06 जमना देवी के पति का नाम आनन्दीलाल के ...न पर संहवन से रामलाल व प्रतिवादी संख्या 10 संतोक के पिता किशनलाल के स्थान प रामलाल हो गया है, ...महज एक टंकणीय त्रुटी है। जिसमें संशोधन की आज्ञा दिया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। तदनुसार ...वादी संख्या 6 जमना देवी पत्नि रामलाल के स्थान जमना देवी पत्नि आनन्दीलाल व प्रतिवादी संख्या 10 ...क पुत्र रामलाल के स्थान पर संतोक पुत्री किशनलाल के रूप में संशोधन की आज्ञा दिया जाना आवश्यक है। ...त प्रार्थना को उभयपक्ष की सहमति के आधार पर स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की भूमि ...जी ख0न0 480, 481, 482 कुल किता 03 कुल रकबा 4.0338 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला, पटवार हल्का सोहेला ...त है। जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है व भूमि आराजी ख0न0 136 रकबा 1.8209 हैक्ट. ... ग्राम सोहेला, पटवार हल्का सोहेला स्थित है। जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 2/27 हिस्सा है एवं ...न0 1116, 1117, 1121, 1223, 1224, 1225, 696, 712, 713, 714, 716, 717/1, 81 कुल किता 13 कुल ...2.8324 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला पटवार हल्का सोहेला में स्थित है। जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से ...12 हिस्सा है। जिसके वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिस पर काबिज होकर काश्त करते चले आ

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

है। उक्त वर्णित आराजीयात हम पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसका ने मौके पर बहामी बंटवारा कर रखा है और बहामी बंटवारे अनुसार मौके पर अपने अपने हिस्से के खेत बनाकर बिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत् विभाजन नही रखा है। जिसके कारण प्रतिवादीगण बिना विधिवत् विभाजन कराये ही अजनबी व्यक्तियो को रहन, दान, बेचान आराजीयात में प्रवेश कराने का प्रयास कर रहे है। अतः वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है की वह ने उपरोक्त वर्णित हिस्से की भूमि का विधिवत् विभाजन कराकर वादीगण की पृथक से नक्शा शीट तरमीम की दे।

बहस अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन या। वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 480, 481, 482 व ख0न0 136 एवं ख0न0 1116, 1117, 1121, 3, 1224, 1225, 696, 712, 713, 714, 716, 717/1, 81 कुल किता 13 कुल रकबा 2.8324 हैक्ट. वाके ग्राम हेला, पटवार हल्का सोहेला में स्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। धिवक्ता वादीगण ने भूमि आराजी ख0न0 480, 481, 482 व ख0न0 136 एवं ख0न0 1116, 1117, 1121, 1223, 4, 1225, 696, 712, 713, 714, 716, 717/1, 81 कुल किता 13 कुल रकबा 2.8324 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला, ार हल्का सोहेला का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या ता 06 ने भी वाद वादी मुताबिक वादपत्र डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 07, 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है। स्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के दार है। अतः भूमि आराजी ख0न0 480, 481, 482 व ख0न0 136 एवं ख0न0 1116, 1117, 1121, 1223, 1224, 5, 696, 712, 713, 714, 716, 717/1, 81 कुल किता 13 कुल रकबा 2.8324 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला, का गण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 व 16 के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर इस कार्यालय के पत्रांक 5 दिनांक 29.05.2024 से तहसीलदार पीपलू द्वारा तकास्मा रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार पीपलू के क-भू.अ./2024/2149 दिनांक 13.06.2024 से तकास्मा रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया जाकर। अधिवक्ता वादीगण ने त तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए वाद वादीगण तकास्मा रिपोर्ट अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन ा। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 ने भी प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर अपनी सहमति जाहिर की एवं बिक तकास्मा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति जाहिर नही कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अभिभाषक उभयपक्ष के मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वाद बाबत् तकास्मा जीयात स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट ार वाके ग्राम सोहेला, पटवार हल्का सोहेला में स्थित भूमि आराजी खसरा न0 136/1 रकबा 0.1390 हैक्टयर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

/2 रकबा 1.3446 हैक्ट., ख0न0 696 रकबा 0.4046 हैक्ट., ख0न0 713/1 रकबा 0.1012 हैक्ट., ख0न0 716
बा 0.1265 हैक्ट., ख0न0 717/2 रकबा 0.0524 हैक्ट., ख0न0 1223/1 रकबा 0.3278 हैक्ट., ख0न0 1224/1
बा 0.1188 हैक्ट. कुल किता 08 कुल रकबा 2.6099 हैक्ट. वादी संख्या 01 व 02 दिलखुश पुत्री सूरजकरण हि.
/2 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, टोंक व प्रतिवादी संख्या 02
ला पत्नि सूरजकरण हि. 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहेगा। खसरा नम्बर
/2 रकबा 1.6819 हैक्ट. गड्डूल पत्नि मांगीलाल हि. 5/133 जाति जाट सा.देह खातेदार, जमना देवी पत्नि
दीलाल हि. 44/133 जाति जाट सा.देह खातेदार, मुकेश कुमार चौधरी पुत्र बजरंगलाल हि. 12/133 जाति
ट सा.देह खातेदार राहिन हि. 12/133 पूर्ण खाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा, पीपलू , रतनी पुत्री
शनलाल हि. 24/133 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन 24/133 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया
खा, टोंक, सन्तोक पुत्री किशनलाल हि. 24/133 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन 24/133 पूर्ण खाता
ईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, टोंक व हनुमान पुत्र किशनलाल हि. 24/133 जाति जाट सा.देह खातेदार हि.
/133 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, टोंक के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0
रकबा 0.1517 हैक्ट., ख0न0 481 रकबा 1.8968 हैक्ट. व ख0न0 482/1 रकबा 0.6407 हैक्ट. कुल किता 03
रकबा 2.6892 हैक्ट. उद्दा पुत्र भैरू हि. 3/8 जाति जाट सा.देह खातेदार, कैलाश पुत्र रामकरण हि. 3/32
ति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. 3/32 (पूर्ण खाता) एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा, देवली, गड्डूल पत्नि
ीलाल हि. 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार, गिर्राज पुत्र रतनलाल हि. 3/32 जाति जाट सा.देह खातेदार
हन हि. 3/32 पूर्ण खाता बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, सोहेला, बद्रीलाल पुत्र रामकरण हि.
32 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. 3/32 पूर्ण खाता सेन्ट्रेल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा टोंक,
नलाल पुत्र रामकरण हि. 3/32 जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। खसरा
र 81 रकबा 0.7840 हैक्ट., ख0न0 712 रकबा 0.2529 हैक्ट., ख0न0 713/2 रकबा 0.1896 हैक्ट., ख0न0
/1 रकबा 0.0741 हैक्ट., ख0न0 1223/2 रकबा 0.0895 हैक्ट., ख0न0 1224/2 रकबा 0.2023 हैक्ट. कुल
ा 06 कुल रकबा 1.5924 हैक्ट. गड्डूल पत्नि मांगीलाल हि. 179/1259 जाति जाट सा.देह खातेदार, रतनी पुत्री
नलाल हि. 360/1259 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन 360/1259 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ
या, शाखा टोंक, सन्तोक पुत्री किशनलाल हि. 360/1259 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन 360/1259 पूर्ण
ा यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा टोंक, हनुमान पुत्र किशनलाल हि. 360/1259 जाति जाट सा.देह
दार राहिन 360/1259 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा टोंक के नाम संयुक्त रूप से दर्ज
र्ड रहेगा। खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.0126 हैक्ट., ख0न0 1117 रकबा 0.0253 हैक्ट., ख0न0 1121 रकबा
79 हैक्ट., ख0न0 1225 रकबा 0.0126 हैक्ट., ख0न0 714 रकबा 0.0253 हैक्ट. कुल किता 05 कुल रकबा 0.
हैक्ट. गड्डूल पत्नि मांगीलाल हि. 1/12 जाति जाट सा.देह खातेदार, दिलखुश पुत्री सूरजकरण हि0 5/24

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. 5/24 पूर्ण खाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टोंक, रतनी पुत्री शनलाल हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन 1/6 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा क, शान्ति पत्नि सूरजकरण हि. 5/24 जाति जाट सा.देह खातेदार, सन्तोक पुत्री किशनलाल हि. 1/6 जाति ट सा.देह खातेदार राहिन हि. 1/6 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा टोंक, हनुमान पुत्र शनलाल हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. 1/6 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा क के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न सा है। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार खातेदारान् के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं शा शीट तकास्मा रिपोर्ट व संलग्न नक्शा शीट अनुसार तरमीम करे। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। र्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल्स 6व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

ब अलजास कपिल शर्मा आर०ए०एस०

...लखुश पुत्री सूरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 02) वादीगण

बनाम

...दा पुत्र भैरू जाति जाट निवासी ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 16) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 66 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू, मुझ कपिल शर्मा उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री ...राम चौधरी एड0, श्री भरत गुर्जर एड0 मिनजानिब मुदई रूबरू प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 श्री नरेन्द्र प्रसाद गुर्जर व 09, 16 ...वक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0 व प्रतिवादी संख्या 07, 08, 10 अनुपस्थित मनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया ...ा व डिक्री दी जाती है की मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम सोहेला, पटवार हल्का सोहेला में स्थित भूमि ...जी ख0न0 136/1 रकबा 0.1390 हैक्ट., 482/2 रकबा 1.3446 हैक्ट., ख0न0 696 रकबा 0.4046 हैक्ट., ख0न0 713/1 ...बा 0.1012 हैक्ट., ख0न0 716 रकबा 0.1265 हैक्ट., ख0न0 717/2 रकबा 0.0524 हैक्ट., ख0न0 1223/1 रकबा 0.3278 ...., ख0न0 1224/1 रकबा 0.1188 हैक्ट. कुल किता 08 कुल रकबा 2.6099 हैक्ट. वादी संख्या 01 व 02 दिलखुश पुत्री ...करण हि. 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, टोंक व प्रतिवादी संख्या 02 ...शि पत्नि सूरजकरण हि. 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहेगा। खसरा नम्बर 136/2 रकबा ...819 हैक्ट. गवूल पत्नि मांगीलाल हि. 5/133 जाति जाट सा.देह खातेदार, जमना देवी पत्नि आनंदीलाल हि. 44/133 जाति ...ट सा.देह खातेदार, मुकेश कुमार चौधरी पुत्र बजरंगलाल हि. 12/133 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. 12/133 पूर्ण ...ता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, पीपलू , रतनी पुत्री किशनलाल हि. 24/133 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन .../133 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, टोंक, सन्तोक पुत्री किशनलाल हि. 24/133 जाति जाट सा.देह ...तेदार राहिन 24/133 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, टोंक व हनुमान पुत्र किशनलाल हि. 24/133 जाति ...ट सा.देह खातेदार हि. 24/133 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, टोंक के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड ...ा। ख0न0 480 रकबा 0.1517 हैक्ट., ख0न0 481 रकबा 1.8968 हैक्ट. व ख0न0 482/1 रकबा 0.6407 हैक्ट. कुल किता ... कुल रकबा 2.6892 हैक्ट. उददा पुत्र भैरू हि. 3/8 जाति जाट सा.देह खातेदार, कैलाश पुत्र रामकरण हि. 3/32 जाति ...ट सा.देह खातेदार राहिन हि. 3/32 (पूर्ण खाता) एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा, देवली, गवूल पत्नि मांगीलाल हि. ...4 जाति जाट सा.देह खातेदार, गिर्राज पुत्र रतनलाल हि. 3/32 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. 3/32 पूर्ण खाता ...दा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, सोहेला, बद्रीलाल पुत्र रामकरण हि. 3/32 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. ...32 पूर्ण खाता सेन्ट्रेल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा टोंक, मोहनलाल पुत्र रामकरण हि. 3/32 जाति जाट सा.देह खातेदार के ... संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। खसरा नम्बर 81 रकबा 0.7840 हैक्ट., ख0न0 712 रकबा 0.2529 हैक्ट., ख0न0 .../2 रकबा 0.1896 हैक्ट., ख0न0 717/1 रकबा 0.0741 हैक्ट., ख0न0 1223/2 रकबा 0.0895 हैक्ट., ख0न0 1224/2 ...ा 0.2023 हैक्ट. कुल किता 06 कुल रकबा 1.5924 हैक्ट. गवूल पत्नि मांगीलाल हि. 179/1259 जाति जाट सा.देह ...दार, रतनी पुत्री किशनलाल हि. 360/1259 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन 360/1259 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ ...या, शाखा टोंक, सन्तोक पुत्री किशनलाल हि. 360/1259 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन 360/1259 पूर्ण खाता ...टेड बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा टोंक, हनुमान पुत्र किशनलाल हि. 360/1259 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन .../1259 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा टोंक के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। खसरा नम्बर 1116

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

रकबा 0.0126 हैक्ट., ख0न0 1117 रकबा 0.0253 हैक्ट., ख0न0 1121 रकबा 0.0379 हैक्ट., ख0न0 1225 रकबा 0.0
ख0न0 714 रकबा 0.0253 हैक्ट. कुल किता 06 कुल रकबा 0.1137 हैक्ट. गट्टूल पत्नि मांगीलाल हि. 1/12 जाति ज
खातेदार, दिलखुश पुत्री सूरजकरण हि. 5/24 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. 5/24 पूर्ण खाता सेन्ट्रल
इण्डिया शाखा टोंक, रतनी पुत्री किशनलाल हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन 1/6 पूर्ण खाता यूनाईटेड
इण्डिया, शाखा टोंक, शान्ति पत्नि सूरजकरण हि. 5/24 जाति जाट सा.देह खातेदार, सन्तोक पुत्री किशनलाल हि. 1
जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. 1/6 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा टोंक, हनुमान पुत्र किशनलाल
जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हि. 1/6 पूर्ण खाता यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा टोंक के नाम संयुक्त
रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा है। तहसीलदार पीपलू तका
अनुसार खातेदारान् के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकासमा रिपोर्ट व संलग्न नक्शा शी
तरमीम करे। बैंक प्रभार यथावत रहेगा।

निजी____________मबलिक____________________ बाबत____________खर्चा इस मुक
मय सूद वगैरह__________फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ____________________
को अदा करे।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.06.2024 को जारी की गई।

मोहर (उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक)

दस्तखत

उपखण्ड अ
पीपलू (टो

मुदई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहि

Scanned with CamScanner